



01/07/13

CF-11-213

अध्यायक
27/06/13

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र.।

R-2542-PB/13

- 1- राधेश्याम पिता कुंदाबाल जाति पाटीदार
आयु 60 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम बाँदड़ी
तहसील सरदारपुर, जिला धार म.प्र.।
- 2- धर्मेन्द्र पिता राधेश्याम जाति पाटीदार आयु 30 वर्ष
धंधा खेती, निवासी ग्राम बाँदड़ी तहसील एवं जिला धार
तहसील सरदारपुर, जिला धार -- निगरानीकर्तागण

बनाम

श्री अजय श्रीवल्लभ
अभिभावक द्वारा
आज दिनांक 27-6-13-
को इन्वेस्टमेंट
उत्तुल।

GMP
27-6-13

- 1- बद्रीलाल पिता विश्राम कुलमी पाटीदार आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम बाँदड़ी तहसील सरदारपुर, जिला धार
- 2- कुशल पिता विश्राम जाति कुलमी आयु 45 वर्ष,
निवासी ग्राम बाँदड़ी तहसील सरदारपुर, जिला
धार म.प्र. -- विपक्षीगण

निगरानी धारा 50 एच-2 की 1959 मुद्रा

मान्यवर महोदय,

सवा मे अत्यन्त विन्मता से निवेदन है कि बद्रीलाल व कुशल ने जो दोनो विश्राम के लडके है वे जानबुझकर, मेरी निजी जमीन हकत पिरत की 126/1 होकर, पिरत की है उक्त भूमि मे कभी भी कोई मार्ग रास्ता मुल प्रकर के प्रार्थगण इस निगरानीकर्ता का नही नही रहा ना पहले था ना आज है इसमे रास्ता नक्षा असत्य पेश किया दक्षिण उत्तर की ओर दक्षिण मे उत्तर दक्षिण मुख्य मार्ग होकर, उससे उत्तर की होकर, प्राथी अपनी भूमि सर्वेनंबर- 115 मे आदृत से जा रहा है उसने नाले का असत्य उल्लेख किया है पूर्व से माग हपूर्व से बराबरा है फिर भी तहसीलदार महोदय सरदारपुर ने उक्त बात को नही पेशा जो शासकीय भूमि से लगा हुआ, प्राथ की भूमि दक्षिण की ओर शासकीय भूमि है उससे लगी होकर, आसानी से चल सैल संभारण नही प्रसर के आने जाने का मार्ग- व इसी मार्ग से 116 का बातेदार भी इसी मार्ग से जाता है। इसी प्रकार मेरा मार्ग भी दक्षिण से उत्तर की ओर चल है।

GMP

आज भी है इस प्रकार इस स्वयं प्राप्ति का भी खेत सरकारी जमीन से लगा हुआ है जैसे अन्य काश्तकार याने 116, 126/1 127 के दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। और अपने खेतों में खेती कर रहे हैं यह सारी बात आदत से है रणधीरजी बनेबदीलाल व कुहाल को मालुम है उसने प्रार्थनापत्र में छिपाई है दाब ठ है। इस सम्बंध में तहसीलदार पटवरी ने अक्लोकन नहीं किया, यह सब छिपाकर, दबाकर, कार्यवाही की है जो अपोबनीय थी, नवीनमार्ग का कायदा नहीं है मुल अर्जी में टनेबल नहीं है इसके बावजूद न्यायालय तहसीलदार महोदय सरदारपुर ने अपने राजस्व प्रकरण क्र. 5 19/2012 -2013, अ-13 में कोर्ट आज्ञा 13-6-2013 को दी जो विधि विचार राधीकार रहित थी, जो स्थिति प्रार्थनापत्र ज्ञाफ को थी, उससे परिवर्तन पर आज्ञा दी पूर्व स्थित जो कर्जों से है उसे आज बिना साक्ष्य के बिना प्रमाण के बदली नहीं जा सकती है इसके बावजूद मेरी भूमि में स्थित वृक्ष और मेरी खेती की रक्षा

Om

R 2542 PAR/13 (512)

15.12.2015

आवेदकगण की ओर से श्री
अजय श्रीवास्तव आयोगाधिकृत
एवं अजय श्रीवास्तव की ओर से
श्री राजेश वर्मा आयोगाधिकृत

उपाधित। आवेदकगण के आयोगाधिकृत
डाटा प्रकाश नहीं चढ़ाने का अनुरोध
किया गया। अनुरोध स्वीकार किया
जाता है। प्रकाश नहीं चढ़ाने
के कारण समाप्त किया जाता है।

अजय

अजय

अजय श्रीवास्तव
आयोगाधिकृत
15/12/2015

अजय श्रीवास्तव
15/12/2015